दिनांक 27.06.2020

मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट पी0जी0 2019 द्वितीय चरण की काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका (Advisory)

1. द्वितीय चरण हेतु प्रदर्शित काउंसिलिंग कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों (प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण से कोई सीट आवंटित नहीं हुई है) द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट समय सीमा में नवीन (Fresh) च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी।

2. द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु भारत के राजपत्र दिनांक 5 अप्रैल 2018 में प्रकाशित ''भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद'' संशोधन अधिसूचना के अनुसार स्नातकोत्तर पाठयक्रम की राज्य कोटे की सीटों पर द्वितीय चरण की कांउसिलिंग में भाग लेने के लिए नियमानुसार पात्र अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा शासकीय महाविद्यालय के लिए रू0 25 हजार एवं नियमानुसार पात्र आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियो के द्वारा रू0 12 हजार 5 सौ की राशि द्वितीय चरण की च्वाईस फिलिंग के समय अग्रिम शुल्क के रूप में ऑनलाईन जमा करानी होगी। निजी महाविद्यालयों की च्वाईस फिलिंग के लिए अग्रिम शुल्क रू0 2 लाख देय होगा। एन0आर0आई0 कोटे के अभ्यर्थियों के लिये यह शुल्क रू0 10 लाख होगा। इस अग्रिम शुल्क का समायोजन मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 12 (7) के अनुसार किया जायेगा।

''नोट'' **अ) प्रथम चरण से निजी/शासकीय महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थियों का द्वितीय चरण हेतु अग्रिम शुल्क उनके द्वारा प्रथम चरण में जमा किये गये शैक्षणिक शुल्क में समायोजित रहेगा।**

ब) अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में आवंटन नहीं हुआ उन्हें द्वितीय चरण में च्वाईस फिलिंग हेतु उपरोक्तानुसार अग्रिम शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

3. द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी (Domicile) अभ्यर्थी एवं ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य के बाहर के निवासी (Non Domicile)है को आवंटन हेतु च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग कर सकेगें।

4. द्वितीय चरण में राज्य के स्थानीय निवासी (Domicile) अभ्यर्थी को प्रथमथः आवंटन दिया जायेगा। स्थानीय निवासी अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध न होने की स्थिति में ही राज्य के बाहर के अभ्यर्थी (Non Domicile) को आवंटन मेरिट के अनुसार दिया जायेगा।

5. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना विकल्प दर्ज करने से पूर्व अपने विकल्पों (च्वाईस) का क्रम पूर्व से ही लिखकर रख लें जिससे उन्हें पोर्टल पर च्वाईस फिलिंग करते समय दुविधा का सामना न करना पड़े। अभ्यर्थी उन महाविद्यालयों का विकल्प (च्वाईस) न भरें जिनकी निर्धारित फीस देने में अभ्यर्थी असमर्थ हों। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 10 उप नियम (6) के अनुसार आवंटन आदेश के अनुक्रम में पात्रताधारी होते हुये भी प्रवेश न लेने की दशा में पोर्टल से उसका पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी आगामी किसी भी चरण की काउंसिलिंग के लिए पात्र नहीं होगे।

6. **द्वितीय चरण में नवीन आंवटित अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी जिनका महाविद्यालय अथवा विषय अथवा श्रैणी में अपग्रेडेशन हुआ है को नवीन आंवटित संस्था में निर्धारित समय सीमा में (द्वितीय चरण) में प्रवेश लेना अनिर्वाय है।** प्रवेश न लेने की स्थिति में मध्य प्रदेश

चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 12 (7) (ग) के अनुसार जमा की गई अग्रिम राशि राजसात कर ली जायेगी। प्रथम चरण से प्रवेशित संस्था में ही अपग्रेड होने की स्थिति (विषय अथवा श्रेणी) में भी अभ्यर्थी को पुनः ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

7. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन हेतु विकल्प दिया था परन्तु द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं हुये है ऐसे अभ्यर्थी पूर्व प्रवेशित संस्था में यथावत रहेगें, उन्हें किसी तरह की कार्यवाही नहीं करनी होगी। अभ्यर्थी जिनके द्वारा द्वितीय चरण में अपग्रेडेशन के लिये विकल्प दिया गया था द्वारा द्वितीय चरण में च्वाईस फिलिंग न करने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रथम चरण से प्रवेशित सीट पर यथावत प्रवेशित रहेगा।

8. आवंटन परिणाम जारी होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिंन आई0डी0 से आवंटन पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले सकेगा।

9. नवीन आवंटित को प्रवेश हेतु घोषित समय सीमा (कांउसिलिंग समय सारणी) में प्रवेश हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर,आवंटित संस्था की प्रवेश समिति से अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों की सूची प्रोफार्मा–1 में उल्लेखित है। पात्र घोषित अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल दस्तावेज प्रवेश समिति को जमा कराना होगा।

10. काउंसिलिंग के प्रथम चक्र में जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश हो चुका है उन्हें अपग्रेडेशन के उपरान्त अपग्रेडेड महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की एडमिशन स्लिप के साथ संलग्न जमा कराये गये मूल दस्तावेजों की सूची, डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन रसीद एवं द्वितीय चरण के आवंटन पत्र प्रस्तुत करने होगे एवं नवीन आवंटन वाले महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क (प्रथम चरण में जमा किये गये शैक्षणिक शुल्क में समायोजित) ऑनलाईन जमा करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर प्रवेश शुल्क की जमा राशि आधिक्य होने की दशा में काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त अभ्यर्थी को लौटाई जायेगी।

11. ऑनलाईन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आर0टी0जी0एस0 द्वारा किया जा सकेगा। अभ्यर्थी भुगतान हेतु एक से अधिक विकल्पों का चुनाव कर सकता है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके खातें में इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो एवं खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध हो।

12. शुल्क भुगतान के उपरान्त अभ्यर्थी को ऑनलाईन प्रवेश स्लिप महाविद्यालय द्वारा जारी की जायेगी।

13. नियमानुसार {संशोधन मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के संशोधित नियम के बिन्दु 9 (नियम 15 के उपनियम 1) } सीट लीविंग बॉण्ड लागू होगा।

14. द्वितीय चरण के प्रवेशित अभ्यर्थी एवं प्रथम चरण के प्रवेशित अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं हुये हैं वे मॉप अप चरण हेतु अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे सकते है।

15. रिफण्ड की स्थिति में रिफण्ड काउसंलिग की प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरे गये रजिस्टर्ड बैंक खाते में की जायेगी।

27.06.2020

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश